"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 जून 2017 — ज्येष्ठ 13, शक 1939

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–74/2011/ज.नि./42. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची–एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त संचालक	01	प्रथम श्रेणी	37400–67000	8700
2.	(क) संयुक्त संचालक–02 (ख) संयुक्त सचालक (प्रशिक्षण)–03	05	प्रथम श्रेणी	15600–39100	7600
3.	(क) उप संचालक (प्रशिक्षण)–02 (ख) प्राचार्य प्रथम श्रेणी–06	08	प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600
4.	(क) प्राचार्य द्वितीय श्रेणी–117 (ख) प्लेसमेंट अधिकारी–06 (ग) सहायक संचालक प्रशिक्षण–(तकनीकी)–02	125	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400
5.	(क) उप प्राचार्य–04 (ख) सहायक संचालक प्रशासन (गैर–तकनीकी)–01	05	द्वितीय श्रेणी	9300–34800	4400
6.	लेखा अधिकारी–01	01	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स.क्र.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
			सीधी भर्ती / चयन द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के मूल / स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त संचालक	01	—	100%	—
2.	(क) संयुक्त संचालक	02	—	100%	—
	(ख) संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	03	—	100%	
3.	(क) उप संचालक (प्रशिक्षण)	02	—	100%	—
	(ख) प्राचार्य प्रथम श्रेणी	06	25%	75%	
4.	(क) प्राचार्य द्वितीय श्रेणी	117	50%	50%	—
	(ख) प्लेसमेंट अधिकारी	06	50%	50%	
	(ग) सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)	02	50%	50%	
5.	उप प्राचार्य	04	—	100%	—
6.	सहायक संचालक प्रशासन (गैर—तकनीकी)	01	—	100%	—
7.	लेखा अधिकारी	01	—	—	कोष एवं लेखा संचालनालय छत्तीसगढ़ (लेखा सेवा) से प्रतिनियुक्ति द्वारा

टीपः—प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, प्लेसमेंट अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी) से 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 25% पदों को, उन प्रशिक्षण अधीक्षकों से भरा जायेगा, जिसके पास इंजीनियरिंग उपाधि है, एवं शेष 50% पदों में से 75% पदों को, इंजीनियरिंग उपाधि / डिप्लोमा / सीटीएस धारी प्रशिक्षण अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर भरा जायेगा।

अनुसूची--तीन

(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	25 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अनुभव** उपाधि धारक के लिये 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिये 7 वर्ष का केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का अनुभव **अधिमान** अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
2.	प्राचार्य द्वितीय श्रेणी/प्लेसमेंट अधिकारी/सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)	25 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अनुभव** डिप्लोमा धारक के लिये 5 वर्ष का केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का अनुभव **अधिमान** अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।

टीपः-- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी है के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	शैक्षणिक अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संयुक्त संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	03 वर्ष	अतिरिक्त संचालक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़— **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ —**सदस्य**।
2.	उप संचालक (प्रशिक्षण) / प्राचार्य प्रथम श्रेणी	03 वर्ष	संयुक्त संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़— **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ —**सदस्य**।
3.	प्राचार्य द्वितीय श्रेणी / प्लेसमेंट अधिकारी / सहायक संचालक	03 वर्ष	उप संचालक (प्रशिक्षण) / प्राचार्य	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — **अध्यक्ष**।

	(प्रशिक्षण तकनीकी)		प्रथम श्रेणी	उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़— **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगाार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ —**सदस्य**।
4.	उप प्राचार्य	—	प्राचार्य द्वितीय श्रेणी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़— **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगाार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ —**सदस्य**।
5.	प्रशिक्षण अधीक्षक / तकनीकी सहायक	03 वर्ष	प्राचार्य द्वितीय श्रेणी / प्लेसमेंट अधिकारी / सहायक संचालक प्रशिक्षण (तकनीकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़— **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगाार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ —**सदस्य**।

6	प्रशिक्षण अधीक्षक / तकनीकी सहायक	03 वर्ष	उप प्राचार्य	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा **अथवा** **सी.टी.एस.** (डी.जी.टी. / एन.सी. व्ही.टी. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र) धारक।	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य – **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव – **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़– **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगाार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ –**सदस्य**।
7.	अधीक्षक संचालनालय	03 वर्ष	सहायक संचालक प्रशासन (गैर–तकनीकी)	–	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य – **अध्यक्ष**। (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव – **सदस्य**। (3) आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़– **सदस्य**। (4) आयुक्त / आयुक्त सह संचालक / संचालक, रोजगाार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ –**सदस्य**।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd June 2017

NOTIFICATION

No. F. 1-74/2011/MPP/42 — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Industrial Training (Gazetted) Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Schedule-I, II, III and IV, the following shall be substituted namely:-

"SCHEDULE–I

(See Rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Scale of pay	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director	01	Class-I	37400-67000	8700
2.	(a) Joint Director- 02 (b) Joint Director (Training)- 03	05	Class-I	15600-39100	7600
3.	(a) Deputy Director (Training)- 02 (b) Principal Class-I- 06	08	Class-I	15600-39100	6600
4.	(a) Principal Class-II- 117 (b) Placement Officer- 06 (c) Assistant Director Training (Technical)- 02	125	Class-II	15600-39100	5400
5.	(a) Vice Principal- 04 (b) Assistant Director Administration (Non-Technical)- 01	05	Class-II	9300-34800	4400
6.	Account Officer- 01	01	Class-II	15600-39100	5400

SCHEDULE–II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of service	Total Number of duty posts	Percentage of posts to be filled in		By transfer/deputation from other service[vide Rule6(1)(c)]
			By direct recruitment / by selection [vide Rule 6(1) (a)]	By Promotion of substantive /officiate of members of service [vide Rule 6(1)(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director	01	-	100%	-
2.	(a) Joint Director (b) Joint Director (Training)	02 03	- -	100% 100%	-
3.	(a) Deputy Director (Training) (b) Principal Class-I	02 06	- 25%	100% 75%	-
4.	(a) Principal Class-II (b) Placement Officer (c) Assistant Director Training (Technical)	117 06 02	50% 50% 50%	50% 50% 50%	-
5.	Vice Principal	04	-	100%	-
6.	Assistant Director Administration (Non-Technical)	01	-	100%	-

7.	Account Officer	01	-	-	By Deputation from Directorate Treasury and Account Chhattisgarh (Account Services)

Note:- 25% post out of 50% posts of Principal Class-II, Placement Officer and Assistant Director Training (Technical) to be filled by promotion, shall be filled from those Training Superintendent, who have Engineering Degree and remaining 75% out of said 50% posts shall be filled on the basis of Gradation list of Training Superintendent having Engineering degree/diploma/ CTS holders.

SCHEDULE–III

(See Rule 8)

S. No.	Name Of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Education Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal Class-I	25 Years	30 Years	**Essential** Degree in Engineering from any Recognized University or Diploma in Engineering from any recognized University Or Board **Experience** 2 Years for Degree holder, 7 years for Diploma holder working / Teaching Experience in any Institution recognized by the Central or the State Government

				Preference Preference shall be given to those who have teaching experience.
2.	Principal Class-II/ Placement Officer /Assistant Director Training (Technical)	25 years	30 years	**Essential** Degree in Engineering from any Recognized University or Diploma in Engineering from any recognized University or Board **Experience** For Diploma holder 5 year working / Teaching experience in any Institution recognized by Central or State Government **Preference** Preference shall be given to those who have teaching experience

Note:- The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE–IV

(See Rule 14 and 15)

S. No.	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of the post or Service on which promotion is to be made	Education Qualification	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Joint Director /Join Director (Training)	03 years	Additional Director	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him - **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary- **Member.** (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh - **Member.** (4) Commissioer /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh - **Member.**

2.	Deputy Director (Training) / Principal Class–I	03 years	Joint Director /Joint Director (Training)	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary - **Member**. (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh- **Member**.
3.	Principal Class-II /Placement Officer /Assistant Director (Training Technical)	03 years	Deputy Director (Training)/ Principal Class-I	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal

				recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	Secretary /Secretary- **Member**. (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh- **Member.**
4.	Vice Principal	-	Principal Class-II	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary- **Member**. (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development

				Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh- **Member.**
5.	Training Superintendent /Technical Assistant	03 years	Principal Class-II /Placement Officer /Assistant Director Training(Technical)	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary- **Member.** (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training

					Chhattisgarh- **Member.**
6.	Training Superintendent /Technical Assistant	03 years	Vice Principal	Degree in Engineering from any recognized University **OR** Diploma in Engineering from any recognized University or Board **OR** **C.T.S.** (Crafts Instructor Training and National Vocational Certificate from institute recognized by D.G.T/ N.C.V.T) holders.	(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.** (2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary- **Member.** (3) Commissioner / Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh- **Member.**
7.	Superintendent Directorate	03 years	Assistant Director Administration (Non-Technical)		(1) Chairman, Public Service Commission or any other member nominated by him- **Chairman.**

					(2) Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary- **Member.** (3) Commissioner /Director Tribal and Scheduled Castes Development Chhattisgarh- **Member.** (4) Commissioner /Commissioner-cum-Director/ Director Employment and Training Chhattisgarh- **Member."**

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELKANTH TIKAM, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.